भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5740

06 अप्रैल, 2022 के लिए प्रश्न

तमिलनाडु में भण्डारण सुविधाओं का विस्तार

5740. डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की तमिलनाडु के पेरम्बलुर संसदीय क्षेत्र में धान और अन्य सब्जियों के भंडारण के लिए भंडारण सुविधाओं का विस्तार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसे प्रस्ताव पर भविष्य में कार्यान्वयन के लिए विचार किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (घ): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) प्रचालन तथा बफर स्टॉक के रखरखाव के लिए खरीद के उपरांत गेहूं तथा चावल का भंडारण करता है।

भारतीय खाद्य निगम भंडारण क्षमता का लगातार आकलन तथा नगरानी करता है और भंडारण अंतर के आकलन के आधार पर निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से भंडारण क्षमता सृजित की जाती है/किराए पर ली जाती है:-

1. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम।
2. केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम (सीएसएस)।
3. सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉड के तहत साइलो का निर्माण।
4. केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना।
5. निजी भंडारण स्कीम (पीडब्ल्यूएस) के माध्यम से गोदाम किराए पर लेना।

.....2/-

विकेन्द्रीकृत खरीद राज्य होने के कारण तमिलनाडु में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)/अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) के तहत खरीद, भंडारण तथा वितरण का निपटान राज्य सरकार द्वारा खरीद की सीमा तक की जाती है। भारतीय खाद्य निगम की भूमिका अधिशेष खरीद के मामले में सामने आती है, जहां स्टॉकों का संचलन खपत वाले राज्यों में किया जाता है या कमी के मामले में स्टॉक भेजा जाता है।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बागवानी प्रभाग बागवानी के एकीकृत विकास हेतु मिशन (एमआईडीएच) कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत विभिन्न बागवानी कार्यकलापों, जिसमें राज्य सरकारों के माध्यम से शीत भंडारण की स्थापना शामिल है, हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। यह घटक मांग/उद्यम आधारित है, जिसके लिए सामान्य क्षेत्रों में स्वीकार्य परियोजना लागत के 35 प्रतिशत की दर पर तथा पहाड़ी क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में 50 प्रतिशत की दर पर वाणिज्यिक उपक्रमों के माध्यम से क्रेडिट से जुड़ी बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में उद्यमियों, निजी कंपनियों, सहकारिताओं, किसान सहकारिता समूहों आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

******